

## **Article -26**

**Every sect or a religious** group is free to manage its religious affairs, but it is subject to reasonable restrictions debarring, any person, or organization to compel another person to convert into his religion by means of force, fraud, inducement, or allurement.

# <u>(अनुच्छेद-26</u>

प्रत्येक संप्रदाय या धार्मिक समूह अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यह बलपूर्वक, धोखाधड़ी, प्रलोभन, या खरीद के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को उसके धर्म में परिवर्तित करने के लिए किसी व्यक्ति, या संगठन को बाध्य करने के लिए उचित प्रतिबंध के अधीन



## **Article -27**

This right is in the form of restrictions upon the government not to compel any person to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious institution.

# <u>(अनुच्छेद-27</u>

यह अधिकार सरकार पर प्रतिबंध के रूप में है कि वह किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर देने के लिए मजबूर न करे।



#### **Article -28**

In the educational institutions run or added by the government, neither any religious instruction can be imparted nor can any person be compelled to take part in any religious instruction or to attend any religious worship

# <u>(अनुच्छेद-28</u>

सरकार द्वारा चलाए या जोड़े गए शिक्षण संस्थानों में, न तो कोई धार्मिक निर्देश दिया जा सकता है और न ही किसी व्यक्ति को किसी धार्मिक निर्देश में भाग लेने या किसी धार्मिक पूजा में शामिल होने के लिए बाध्य किया जा सकता है

# **Cultural and Educational Rights (Articles 29 - 30)**

The democracy is based upon the wishes of the majority. In this system, the right and interest of the minorities need to be protected by developing a mechanism that cannot be changed prejudicially by the majority.

Therefore in a democratic country, Special Protection is provided in the constitution to preserve and develop the language, culture, and religion of minorities.

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30) लोकतंत्र बहमत की इच्छा पर आधारित हैं। इस प्रणाली में. अल्पसंख्यकों के अधिकार और हित को एक ऐसे तंत्र को विकसित करके संरक्षित करने की आवश्यकता है जिसे बहुमत से पूर्वाग्रह से नहीं बदला जा सकता है।

इसलिए एक लोकतांत्रिक देश में, अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और धर्म के संरक्षण और विकास के लिए संविधान में विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है। **Article 29 protects the interests** of the minorities by making a provision that any citizen / section of citizens having a distinct language, script or culture have the right to conserve the same. Article 29 mandates that no discrimination would be done on the ground of religion, race, caste, language or any of them.

अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है एक प्रावधान है कि किसी भी नागरिक । नागरिकों के पास एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है उसी का संरक्षण करने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 कहता है कि धर्म, जाति, जाति. भाषा या उनमें से किसी पर भी कोई भेदभाव नहीं किया



#### **Article 30-**

all minorities, religious or linguistic groups, having a distinct language, script or culture of its own can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their language, script, or culture.

#### अनुच्छेद 30-

सभी अल्पसंख्यक, धार्मिक या भाषाई समूह, जिनकी अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, अपनी भाषा, लिपि को संरक्षित और विकसित करने के लिए अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, या संस्कृति।



#### **Right to Constitutional Remedies**

- •A person aggrieved by the violation of any of his/her fundamental right can approach either to the Supreme Court (under Article 32) or High Court (under Article 226) for the restoration of his/her fundamental right/s.
- •The enforceability of rights is a very important aspect of all fundamental rights and hence, it is called as the "Right to Constitutional Remedies."
- According to Dr. Ambedkar, the right to constitutional remedies is the 'heart and soul of the Constitution.'

#### संवैधानिक उपचार का अधिकार

- •अपने मौलिक अधिकारों में से किसी के उल्लंघन से दुखी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) के तहत या उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226 के तहत) के पास अपने मौलिक अधिकार की बहाली के लिए संपर्क कर सकता है।
- •अधिकारों की प्रवर्तनीयता सभी मौलिक अधिकारों का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और इसलिए, इसे "संवैधानिक अधिकारों का अधिकार" कहा जाता है।
- •डॉ। अंबेडकर के अनुसार, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का and हृदय और आत्मा है।

#### **Article 32**

- •If someone violates someone's Fundamental Rights, then he/she can approach either a High Court or directly the Supreme Court to get proper remedy.
- •The Supreme Court or the High Court (as the case may be) can issue orders (known as writs) and give directives to the Government for the enforcement of Fundamental Rights.
- Following are the five writs/orders issued by either the Supreme Court or High Courts -

## <u>अनुच्छेद ३२</u>

- •यदि कोई किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह उचित उपाय प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय या सीधे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।
- •सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय (जैसा भी मामला हो) आदेश जारी कर सकते हैं (रिट के रूप में जाना जाता है) और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सरकार को निर्देश दे सकते हैं।
- •सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए गए पाँच रिट / आदेश निम्नलिखित हैं -

Habeas corpus – A writ of habeas corpus means that the court orders that the arrested person should be presented before the court. The court can also order to set free an arrested person if the manner and/or grounds of arrest are not lawful or satisfactory.

Mandamus – This writ is issued when a court finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing on the right of an individual.

बंदी प्रत्यक्षीकरण - बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक अर्थ यह है कि अदालत आदेश देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के सामने पेश किया जाए। अदालत गिरफ़्तार व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश भी दे सकती है यदि गिरफ्तारी का तरीका और / या आधार कानूनन या संतोषजनक नहीं है।

मैंडामस - यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई न्यायालय यह पाता है कि कोई विशेष कार्यालय धारक कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस प्रकार वह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। Prohibition – This writ is issued by a higher court (High Court or Supreme Court); when a lower court has considered a case, which is going beyond its jurisdiction.

Quo Warranto – If a court finds that a person is holding office but is not entitled to hold that office, it issues the writ of quo warranto and restricts that person from acting as an office holder.

निषेध - यह रिट उच्च न्यायालय (उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय) द्वारा जारी किया जाता है; जब एक निचली अदालत ने एक मामले पर विचार किया है, जो उसके अधिकार क्षेत्र से परे है।

Quo Warranto - यदि कोई न्यायालय यह पाता है कि कोई व्यक्ति पद धारण कर रहा है, लेकिन वह पद धारण करने का हकदार नहीं है, तो वह quo warranto का अधिकार जारी करता है और उस व्यक्ति को कार्यालय धारक के रूप में कार्य करने से रोकता है।



#### Certiorari -

Under this writ, a higher court orders a lower court or another authority to transfer a matter pending before it to the higher authority or court.

## सर्टिओरीरी –

इस रिट के तहत, उच्च न्यायालय निचली अदालत या किसी अन्य प्राधिकारी को किसी मामले को उच्च प्राधिकारी या अदालत के समक्ष लंबित स्थानांतरित करने का आदेश देता है।